उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 233वीं बैठक
दिनांक 12 मई, 2015 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 233वी बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4–	श्री शहाबुद्दीन मोहम्मद	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
6–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
7–	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
8–	श्री ए.के.मिश्र	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
9–	श्री मुकुल जोशी	उप निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
10–	श्री एस.के.सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि सचिव, नगर विकास	सदस्य
11–	श्री वी.के.एल.श्रीवास्तव	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12–	श्री ओ.पी.मिश्र	मुख्य अभियंता,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ आमंत्री	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
233/1	परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26 मार्च,2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 232वीं बैठक दि0 26.03.15 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
233/2	परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26 मार्च,2015 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 232वीं बैठक दि0 26.03.15 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

वाराणसी जोन

233/3	परिषद की भरतपुरी योजना, गोण्डा स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या पी–90 के विरूद्ध आरोपित अनिर्माण शुल्क माफ किये जाने व निर्माण हेतु एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

एम0डी0सी0

233/4	परिषद की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 03/04 अप्रैल 2015 को आयोजित तकनीकी सेमीनार के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 03/04 अप्रैल 2015 को आयोजित तकनीकी सेमीनार की कृतकार्यवाही का अवलोकन किया गया

		तथा मितव्ययिता की सराहना की गयी साथ ही इस सेमिनार के विषयों पर हुए व्याख्यान का परिषद कार्यों हित मे उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया।

लखनऊ–जोन

233/5	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–9सी/277 का आवासीय भूखण्ड संख्या 11/52 से परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त नियमानुसार परिवर्तन शुल्क लेते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
233/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ मे हितबद्ध काश्तकारों को 5% भूमि दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त किसानों के हित में बढ़े क्षेत्रफल का मूल्य वर्ष 2013 की भूमि दर पर लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

233/7	भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की 231वीं बैठक दि 09.12.2014 के मद संख्या–19 में लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए राजस्व अनुभाग–13 उ0प्र0 शासन की राजाज्ञा संख्या–2/2015/215/एक–13– 2015 –20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

233/8	दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवंटन की प्रकिया निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 26.08.2014 को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।
233/9	परिषद की अनिस्तारित अवशेष दुकानों/कियॉस्कों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
233/10	अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" के क्रियान्वयन हेतु स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैटों के मूल्य की भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया : • 30 दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान पर 2% छूट तथा पंजीकरण का शुल्क 5% के स्थान पर 2% करने । • 10 वर्षो की किश्तों का निर्धारण कर

	में।	आवंटियों को सुविधा प्रदान की जाय। • बैंकर्स के साथ बैठक करके बैंक के माध्यम से ऋण दिलाने की सुविधा आवंटियों को अधिकाधिक प्रदान की जाय।
233/11	परिषद की केशवपुरम योजना संख्या–1, कानपुर में स्थित आफिस काम्पलेक्स के बी–ब्लाक के भूतल पर रिक्त पड़े हॉल में आन्ध्रा बैंक की शाखा खोलने हेतु किराये पर आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन कि प्रतिवर्ष 10% किराये में बढ़ोत्तरी के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
233/12	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–3 में स्थित स्कूल भूखण्ड संख्या–3/एस0सी0एच0–02 क्षेत्र0 16200.00 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वय अनुभाग

233/13	श्री यशवन्त सिंह गंगवार, सहायक अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

233/14	परिषद में कार्यरत वाहन चालकों को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के साथ बैठक करके प्रकरण का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

लेखानुभाग

233/15	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–6307/2010 उ0प्र0 सरकार बनाम प्रीतम सिंह व अन्य में पारित आदेश दि0 23.09.14 के अनुपालन में परिषद कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफिट्स अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

233/16	परिषद योजनाओं में पार्कों/ग्रीन बेल्ट के समुचित विकास/रख रखाव को स्थानीय निकाय को हस्तानान्तरण तक निजी संस्थाओं/जन सहभागिता के माध्यम से कराने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का समुचित परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

233/17	गाजियाबाद नगर में मेट्रो रेल परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा, गाजियाबाद कॉरीडोर के क्रियान्वयन हेतु परिषद अंश के भुगतान के सम्बन्ध में अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 50.00 करोड (रु0 5.96 करोड अवस्थापना मद से तथा रु0 44.04 करोड़ परिषद फण्ड से) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र लिख कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।
233/18	परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में विभिन्न प्राइवेट एजेन्सीज द्वारा विज्ञापन पट लगाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

ग्लोबल सेल

233/19	डी0एल0एफ0 लि0 के 632 एल0आई0जी0 तथा 632 नग ई0डब्ल्यू0एस0 फलैट्स के निर्माण हेतु 6.875 प्रतिशत परिषद सेन्टेज के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

लखनऊ जोन

233/20	मा0 अंकुश समिति द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 80/122 पर्ल टाइप का भवन आवंटित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

233/21	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद में समाविष्ट सहकारी आवास समितियों की भूमि समायोजन के फलस्वरूप उनको देय भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त आवास आयुक्त के स्तर से एक समिति गठित करके परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

233 / 22	प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं गम्भीर आवासीय समस्या के निराकरण के लिये तात्कालिक रूप से आवश्यक भूमि का नगोसिएशन (विमर्श / वार्ता) के आधार पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बैनामे द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
233 / 23	परिषद की सुल्तानपुर रोड (अवध विहार) योजना लखनऊ के अन्तर्गत अर्जित ग्राम–सरसवां, हरिहरपुर एवं अहमामऊ डेन्जर जोन / फायरिंग रेंज की भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि की उपयोगिता के दृष्टिगत उसके डि–नोटिफाईड न किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
233 / 24	परिषद की मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या–1, मेरठ में समाविष्ट कस्बा योजना की भूमि खसरा संख्या–5718 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
233 / 25	परिषद की इंदिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के सम्वंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें अपर जिलाधिकारी (भूमि),लखनऊ, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य विधि परामर्शी तथा उपाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह रहेंगे। उक्त समिति स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को प्रस्तुत करने तथा आवास आयुक्त परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

233 / 26	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग –3 के अधिसूचना संख्या– 2281 / आठ–3–14–194विविध / 2014 दिनांक 11, दिसम्बर 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण) नियमावली 2014 के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के अधिसूचना संख्या 2281 /आठ– 3 –14–194विविध / 2014दि0 11.12.14 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण) नियमावली 2014 अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

233/27	सम्पत्ति निरीक्षक संवर्ग की सेवा विनियमावली–2015 निर्मित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति का गठन करके प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
233/28	सहायक विधि अधिकारी संवर्ग की सेवा विनियमावली–2015 निर्मित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति का गठन करके प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

लेखानुभाग

233/29	परिषद कार्मिकों को पेंशनरी बेनिफिट्स अवमुक्त किये जाने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिको/तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं संहत मानदेय पर लिये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सेवा प्रदायक एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स पर जन–शक्ति लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुरक्षण अनुभाग

233/30	परिषद मुख्यालय पर पुराने मुख्य निष्प्रयोज्य भवन को तोड़कर उसके स्थान पर नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रू0 2250.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद मुख्यालय पर नये कार्यालय भवन के निर्माण की परिकल्पना पर सुविचारित चिंतन करने एवं आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

233/31	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में आवंटित स्कूल भूखण्ड सं0 8/एस0सी0एच0–01 के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश/परिषद विनियम में व्यवस्था न होने के कारण प्रस्ताव के अनुमोदन का औचित्य नही पाया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

233/32	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत 4128 नग बहुमजिले भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत 4128 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 61708.97 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।